न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी, जिला–प्रतापगढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–विनोद कुमार मल्होत्रा (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः–06 / 2019

1. श्रीमती बदामबाई बेवा खेमराज जाति कुमावत निवासी गोमाना तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0

–– प्रार्थीया

बनाम

1. श्री मागु पिता लक्ष्मण जाति मीणा मृतक के बजाए–
   1. श्री तोलीराम पिता मांगु जाति मीणा निवासी भल्ला का खेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
   2. श्री पप्पुलाल पिता मांगु जाति मीणा निवासी भल्ला का खेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
   3. श्री बालुराम पिता मांगु जाति मीणा निवासी भल्ला का खेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
   4. श्रीमती मुन्नाबाई पिता मांगु जाति मीणा निवासी भल्ला का खेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
   5. श्रीमती हुलासीबाई पत्नी स्व मांगु जाति मीणा निवासी भल्ला का खेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
2. श्री चुन्नीलाल पिता बाबरूजी जाति जटिया निवासी चौहानखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
3. श्री कुशल पिता बाबरूजी जाति जटिया निवासी चौहानखेड़ा तहसील छोटीसादड़ी जिला–प्रतापगढ़ राज0
4. श्री सरकार जरिये तहसीलदार छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़ राजस्थान

–– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट

उपस्थितः– श्री हजारीलाल कराड़िया – अभिभाषक प्रार्थीया

निर्णय दिनांक 31.03.2022

1. प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी की आराजी मौजा भल्ला का खेड़ा पटवार हल्का स्वरूपगंज तहसील छोटीसादड़ी में स्थिति आराजी संख्या 28 रकबा 1.30 हैक्ट0 एवं आराजी संख्या 31 / 446 रकबा 2.54 हैक्ट0 में जाने के लिए विपक्षी क्रमांक 1 की आराजी संख्या 24 रकबा 1.35 हैक्ट0 एव आराजी संख्या 27 रकबा 0.24 हैक्ट0 के पूर्व दिशा में, अप्रार्थी क्रमांक 2 की

आराजी संख्या 25 रकबा 1.25 हैक्ट0 एवं अप्रार्थी क्रमांक 3 की आराजी संख्या 26 रकबा 0.12 हैक्ट0 के पश्चिम मेड़ पर दक्षिण से उत्तर दिशा में होकर विस्तारित कराना चाहते है। जहा वों बहुत वर्षो से जा आ रहें है। प्रार्थीया की आराजी में पहुचनें के लिए इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। वर्तमान में विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को जानबूझ कर बन्द कर दिया है। यदि प्रार्थी को रास्त नहीं दिया गया तो वों अपनी आराजी का उपभोग–उपयोग नहीं कर पायेगे अतः विपक्षीगण की आराजी संख्या 24 रकबा 1.35 हैक्ट0, आराजी संख्या 27 रकबा 0.24 हैक्ट0, आराजी संख्या 25 रकबा 1.25 हैक्ट0 एव आराजी संख्या 26 रकबा 0.12 हैक्ट0 में ट्रेक्टर बेलगाड़ी आदि ले जाने हेतु रास्ता कायम किया जावें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन सुचित किया गया एवं प्रकरण की वस्तुस्थिति जानने हेतु तहसीलदार छोटीसादड़ी से मौका रिपोर्ट हेतु लिखा गया तहसीलदार छोटीसादड़ी की मौका रिपोर्ट पेश हुई जिसमें पटवार हल्का स्वरूपगंज ने अंकित किया की मौजा भल्ला का खेड़ा की प्रार्थीया की आराजी संख्या 28 एवं आराजी संख्या 31/446 पर आने जाने का रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है। उक्त मौके पर जाकर पर्चा मौका बनाया व नक्शा ट्रेस में लाल पेन से दर्शाया गया जिसमें आराजी संख्या 24 मे लम्बाई 148 मीटर व चोडाई 2 मीटर कुल 296 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 27 मे लम्बाई 26 मीटर चोडाई 2 मीटर कुल 52 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 25 मे लम्बाई 92 मीटर व चोडाई 2 मीटर कुल 184 वर्ग मीटर, आराजी संख्या 26 मे लम्बाई 20 मीटर चोडाई 2 मीटर कुल 40 वर्ग मीटर तथा आराजी संख्या 25/498 मे लम्बाई 72 मीटर चोडाई 2 मीटर कुल 144 वर्ग मीटर है। उप पंजीयन शाखा से मौजा भल्ला का खेड़ा की डी0 एल0 सी0 दर ली गई जो कि 9688 रूपये प्रति एअर है। दौरान सुनवाई विपक्षी क्रमांक 1 की मृत्यु हो गई वकील प्रार्थी द्वारा विपक्षी क्रमांक 1 का कायम मुकामी पेश की गई जिसे स्वीकार कर उसके वारिसानें को रिकार्ड पर लिया गया तथा उनकी तलबी पेश करनी थी परन्तु दौरान सुनवाई प्रतिवादी क्रमांक 1 के वारिसानों ने स्वयं उपस्थिति देकर रास्ता देनें हेतु सहमति जाहीर कि गई।

3. अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी और पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार छोटीसादड़ी की रिपोर्ट वास्ते कायमी रास्ता का ध्यानपूर्वक अवलोकर किया गया साक्ष्य एवं पटवार हल्का की रिपोर्ट से यह जाहिर होता है कि प्रार्थीगण की आराजी में जाने के लिए अप्रार्थीगण की आराजी से जाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। यदि प्रार्थीगण को रास्ते भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई तो तो उसकी खातेदारी की आराजीयात का उपयोग उपभोग नही कर पायेगा जिससे उसे भारी आर्थिक क्षति होना संभावित है। उक्त तथ्यों को मद्धेनजर रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता देना न्यायोचित है।

4. अतः प्रस्तुत दस्तावेज एवं साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भल्ला का खेड़ा पटवार हल्का स्वरूपगंज की प्रार्थीया की आराजी संख्या 28 एवं आराजी संख्या 31/446 में जाने हेतु अप्रार्थीगण की आराजी संख्या 24 मेसे 148 मीटर X 2 मीटर =296 वर्ग मीटर यानि न्यूतनम 0.03 हैक्टर, आराजी संख्या 27 मेसे 26 मीटर X 02 = 52 वर्ग मीटर यानि 0.005 हैक्टर, आराजी संख्या 25 मेसे 92 मीटर X 02 = 184 वर्ग मीटर यानि 0.02 हैक्टर, आराजी संख्या 26 मेसे 20 मीटर X 02 = 40 वर्ग मीटर यानि 0.005 हैक्टर एवं आराजी संख्या 25/498 मेसे 72 मीटर X 02 = 144 वर्ग मीटर यानि 0.015 हैक्टर कुल रास्ते का क्षेत्रफल 0.075 हैक्टर का रास्ता कायम किया जाता है। तहसीलदार छोटीसादडी को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से डी0 एल0 सी0 दर से उक्त क्षेत्रफल की राशि जोकि नियमानुसार 145320 रूपये बनती है जो कि प्रार्थीगण से वसूल की जाकर जरिये चालान जमा कराकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम रास्ता दर्ज किया जावें। इसी अनुसार नक्शे में तरमीम हो। तहसीलदार मौके पर जाकर पालना रिपोर्ट 27.04.2022 तक पेश करें।

यह निर्णय आज दिनांक 31.03.2022 को सरे इजलास सुनाया जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विनोद कुमार मल्होत्रा)
उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी, जिला – प्रतापगढ़